फोन नं. 07723–223834
फैक्स नं. 07723–224036
email : zp-msamund.cg@nic.in

जिला पंचायत महासमुन्द (छ.ग.)

क्र./ 6685 /जि.पं./शिक्षा/2017–18 महासमुन्द, दिनांक 06 /09/2017

विज्ञप्ति

जिला पंचायत महासमुन्द द्वारा प्रकाशित सहायक शिक्षक पंचायत एवं शिक्षक पंचायत से व्याख्याता पंचायत की पदोन्नति हेतु अंतिम वरीष्ठता सूची से सहायक शिक्षक पंचायत एवं शिक्षक पंचायत की विषयवार दस्तावेज सत्यापन के लिए सूची प्रकाशित की गई है। जिसे जिला पंचायत के सूचना पटल एवं वेबसाईट WWW.CG.NIC.IN/MAHASAMUND में अवलोकन किया जा सकता है। साथ ही सभी मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को ई–मेल किया गया है। दिनांक 09.09.2017 दिन शनिवार को दस्तावेज सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन हेतु प्रकाशित सहायक शिक्षक पंचायत प्रथम पाली समय 11:00 बजे से 1:30 बजे तक एवं शिक्षक पंचायत द्वितीय पाली समय 2:30 बजे से 5:00 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत महासमुन्द के सभा कक्ष में उपर्युक्त तिथि को निम्न दस्तावेज के साथ अपनी उपस्थिति देंवे।

1. प्रथम नियुक्ति आदेश।
2. कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन।
3. नियमितीकरण आदेश।
4. पदोन्नति आदेश।
5. स्थानान्तरण आदेश।
6. युक्तियुक्त करण आदेश।
7. दसवीं/मैट्रिक की अंकसूची।
8. बारहवीं की अंकसूची।
9. स्नातक की अंकसूची।
10. बी.लिब की अंकसूची।
11. स्नातकोत्तर की अंकसूची।
12. डी.एड./बी.एड./डी.पी.ई./बी.टी.आई/डी.एल.एड (प्रशिक्षित) की अंकसूची।
13. अनापत्ति प्रमाण पत्र।
14. जाति प्रमाण पत्र।
15. विकलांग प्रमाण पत्र।
16. योग्यता जोड़ने संबंधी सेवा पुस्तिका की छायाप्रति।

एवं नियुक्ति से संबंधित समस्त अन्य दस्तावेज भी जो ऊपर वर्णित नहीं है, और जो संबंधित पद के लिए लागू होता हो। उपरोक्त समस्त दस्तावेज की एक सेट छायाप्रति स्वप्रमाणित कर प्रस्तुत करेंगे। साथ में समस्त दस्तावेज का मूल (original) प्रति अवलोकन हेतु साथ लेते आवेंगे। एक से अधिक विषय में स्नातकोत्तर शिक्षक पंचायत विषयवार समस्त दस्तावेजों का एक–एक सेट छायाप्रति प्रस्तुत करेंगे।

टीप :– दस्तावेज सत्यापन का यह कतई मतलब नहीं है। कि आपकी पदोन्नति सुनिश्चित होगी। शासन द्वारा निर्धारित पद एवं मापदण्डों के अनुसार ही पदोन्नति की जावेगी।

पुष्पेन्द्र कुमार मीणा (I.A.S.)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत महासमुन्द

पृ. क्र./ 6686 /जि.पं./शिक्षा/2017–18 महासमुन्द, दिनांक 06/09/2017

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान कलेक्टर, जिला महासमुन्द को सादर सूचनार्थ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुन्द को सूचनार्थ।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला महासमुन्द को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त जानकारी में आई.टी. एक्ट 2000 एवं आधार एक्ट 2016 का पालन किया गया है।
4. सहायक संचालक, जनसम्पर्क अधिकारी, जिला महासमुन्द को प्रकाशन हेतु सुचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत महासमुन्द/बागबाहरा/पिथौरा/बसना/सरायपाली को सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा हेतु।
6. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी महासमुन्द/बागबाहरा/पिथौरा/बसना/सरायपाली को सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा हेतु।
7. श्री नारायण चौधरी, जिलाध्यक्ष छ.ग.पं.न.नि. शिक्षक संघ जिला महासमुन्द को सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत महासमुन्द